

अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

अध्याय-3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रबंध

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सरकारी स्तर पर आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। ई.टी.सी. को मुख्यालय पर क्लैक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के प्रबन्धन के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओ.), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टाँफ द्वारा सहयोग दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न ठेकों के लाइसेंस की प्रदानगी हेतु फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरिज में उत्पादित और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट/बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

दुकानों के ज़ोन का आवंटन विभागीय पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर आमंत्रित करके किया जाता है। ई-टेंडरिंग की विस्तृत प्रक्रिया को ई.टी.सी. द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा जिसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करके प्रदर्शित किया जाएगा।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2018-19 में राज्य आबकारी विभाग की 81 इकाइयों में से 25 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 576 मामलों में ₹ 45.72 करोड़ (वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 4,966.21 करोड़ के संग्रहण का 0.92 प्रतिशत) से आवेष्टित उत्पाद शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि तालिका 3.1 में तालिकाबद्ध है।


तालिका 3.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	लाइसेंस फीस जमा न करना/कम जमा करना तथा ब्याज की हानि	118	31.44
2	ठेकों के पुनः आवंटन पर लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना	01	0.23
3	अतिरिक्त शुल्क/पेनल्टी न लगाना	146	7.35
4	अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली	211	0.26
5	विविध अनियमितताएं	100	6.44
	योग	576	45.72

चार्ट 3.1

(₹ करोड़ में)



वर्ष के दौरान, विभाग ने 415 मामलों में आवेष्टित ₹ 30.13 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो वर्ष के दौरान इंगित किए गए थे। विभाग ने 19 मामलों में आवेष्टित ₹ 35.00 लाख वसूल किए जिनमें से सात मामलों में वसूल किए गए ₹ 15.78 लाख इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 8.23 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

3.3 शराब का त्रैमासिक कोटा कम उठाने पर पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

कोटा कम उठाने पर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 5.04 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए राज्य आबकारी नीति के पैरा 3.3.1 के अनुसार एक लाइसेंसधारी निर्धारित त्रैमासिक सारणी के अनुसार उसकी दुकान के लिए आवंटित भारत में बनी विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) और देसी शराब (सी.एल.) का समग्र मूल कोटा उठाने के लिए उत्तरदायी है जिसमें विफल रहने पर दंड के प्रावधानों का आह्वान किया जाता है। निर्धारित त्रैमासिक कोटा का न उठाना, कम मात्रा के लिए क्रमशः आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के लिए ₹ 65 और ₹ 20 प्रति प्रूफ लीटर (पी.एल.) की दर पर पेनल्टी आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के चलन के दौरान दुकानों के आवंटन के मामले में, वर्ष की शेष तिमाहियों के लिए त्रैमासिक कोटे की आवंटित कोटे से आनुपातिक आधार पर गणना की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों¹ के वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के अभिलेखों की अगस्त 2017 तथा फरवरी 2019 के मध्य संवीक्षा ने प्रकट किया कि 80 खुदरा दुकानों² के लाइसेंसधारियों ने नीचे दिए गए विवरणानुसार निर्धारित त्रैमासिक कोटा नहीं उठाया:

विवरण	आई.एम.एफ.एल. पूफ लीटर में	सी.एल. पूफ लीटर में
मूल निर्धारित कोटा	15,56,124.10	75,37,609.10
उठाया गया कोटा	11,91,019.65	62,05,300.52
कम उठाया गया	3,65,104.45	13,32,308.58
उद्ग्राह्य पेनल्टी की दर	₹ 65	₹ 20
पेनल्टी की राशि	₹ 2,37,31,789	₹ 2,66,46,171.60

तथापि, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने कोटे के कम उठाए जाने के लिए पेनल्टी लगाने की कार्यवाही नहीं की थी परिणामस्वरूप ₹ 5.04 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) भिवानी तथा कुरुक्षेत्र ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 10.78 लाख की पेनल्टी की राशि लाइसेंसधारियों की प्रतिभूति में से वसूली/समायोजित की गई थी। सभी डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 4.93 करोड़ की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला नवंबर 2017 तथा मार्च 2019 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जून 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग त्रैमासिक कोटा के कम उठाने की एक अलग रिपोर्ट बनाने हेतु विचार करे।

3.4 लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

अप्रैल 2016 से मार्च 2018 की अवधि हेतु 58 लाइसेंसधारियों द्वारा ₹ 153.36 करोड़ की लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण के कारण ₹ 3.19 करोड़ की हानि थी।

वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 6.4 निर्धारित करता है कि आई.एम.एफ.एल./सी.एल. की बिक्रियों की दुकानों के लिए लाइसेंस वाले प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाइसेंस फीस की मासिक किश्त (10 बराबर किश्तों में बोली धन का 8.3 प्रतिशत) का भुगतान करेगा। ऐसा करने में विफलता से लाइसेंसधारी, माह के प्रथम दिन से, जिसमें लाइसेंस फीस देय थी, किश्त या उसके किसी भाग के भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अदा करने हेतु

¹ भिवानी, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), करनाल तथा कुरुक्षेत्र।

² दुकानों की संख्या = 80

	2016-17		2017-18	
	सी.एल.	आई.एम.एफ.एल.	सी.एल.	आई.एम.एफ.एल.
मूल निर्धारित कोटा	-	55,000	75,37,609.1	15,01,124.1
उठाया गया कोटा	-	45,084.71	62,05,300.52	11,45,934.94

उत्तरदायी होगा। आगे राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.5 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी माह के अंत तक ब्याज के साथ पूरी मासिक किश्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाइसेंस प्राप्त ठेके अगले माह के प्रथम दिन से बंद हो जाएंगे और संबंधित जिले के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतः सील बंद किए जाएंगे।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के सात कार्यालयों³ के वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2017 तथा फरवरी 2019 के मध्य) ने प्रकट किया कि 58 लाइसेंसधारियों ने अप्रैल 2016 तथा मार्च 2018 के मध्य की अवधि के लिए ₹ 153.36 करोड़ की लाइसेंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान 21 से 152 दिनों की देरी के साथ किया। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज उद्ग्रहण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.19 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, पांच डी.ई.टी.सीज⁴ (आबकारी) ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 6.30 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 2.23 करोड़ की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) अंबाला तथा फरीदाबाद के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

मामला नवंबर 2017 तथा मई 2019 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जून 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग द्वारा देरी से भुगतान के मामलों में ब्याज की स्वचालित गणना की अंतर्निहित यंत्रावली के लिए विचार करे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों के दृष्टांत नमूना-जांच किए गए मामलों पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करे।

³ अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम (पश्चिम), झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत।

⁴ गुरुग्राम (पश्चिम), झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत।